बढ़ी मुश्किलें: एरियर भुगतान के दबाव से मिलें घटा सकती हैं पेराई

# कहीं खेतों में ही न जलाना पड़े गन्ना

**सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली**

**सुप्रीम कोर्ट** के ताजा फैसले से चीनी मिलों पर जहां किसानों का बकाया भुगतान करने का दबाव बन गया है, वहीं उत्पादन में वृद्धि से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है, जिसका नुकसान आखिरकार गन्ना किसानों का उठाना पड़ेगा। घरेलू और निर्यात मांग कम होने और स्टॉक बढ़ने से आजिज चीनी मिलें गन्ने की पेराई घटा सकती है। नतीजतन गन्ने की फसल खेतों में ही जलानी पड़ सकती है।

चालू पेराई सीजन में चीनी उत्पादन बढ़ने के अनुमान के मद्देनजर सरकार ने 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। लेकिन अभी तक केवल चार लाख टन निर्यात के सौदे हो पाए है, जबकि डिलीवरी केवल डेढ़ लाख टन की ही हो सकी है। घरेलू बाजार पर निर्यात की अनुमति का कोई असर नहीं पड़ा है। चीनी उद्योग को उम्मीद थी कि निर्यात के फैसले से घरेलू बाजार में तेजी का रुख होगा। लेकिन पिछले दो तीन सप्ताह में चीनी के खुदरा मूल्य में तीन रुपये तक की कमी दर्ज की गई है।

दूसरी तरफ चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 15 जनवरी तक उत्पादन 104.5 लाख टन पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 17 लाख टन अधिक है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उत्पादन में 22 फीसदी तक की वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार के दबाव में वहां की मिलों में चीनी का उत्पादन बहुत पहले ही शुरू हो गया था। इसके चलते गन्ना सीधे मिलों में पहुंचने लगा। गन्ना किसान नेता सुधीर पंवार का कहना है कि सरकार की टाल-मटोल की नीति से चीनी मिलें हायतौबा कर रही है, जिससे गन्ने का एरियर फिर बढ़ेगा। आजिज चीनी मिलें उत्पादन में कटौती कर सकती है। राज्य की मिलों में पिछले साल के मुकाबले 15 जनवरी तक लगभग एक करोड़ गन्ने की अधिक पेराई कर दी गई है। महाराष्ट्र की मिलों में भी पेराई पिछले साल के मुकाबले अधिक हुई है। साथ ही वहां रिकवरी दर अधिक होने के चलते चीनी का उत्पादन बढ़ा है। चालू पेराई सीजन में 15 जनवरी तक 516 मिलों में पेराई चल रही है, जबकि पिछले साल केवल 498 मिलों में ही पेराई हो रही थी।

## मालिकों को बकाया अदा करने का आदेश

**नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो :** उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी चीनी मिल मालिकों को गन्ना किसानों को बकाया मूल्य अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के गन्ना समर्थन मूल्य तय करने के अधिकार का कानूनी मसला विचार के लिए 7 जजों की संविधानपीठ को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के आदेश से उत्तर प्रदेश की लगभग 90 निजी चीनी मिलों को वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 का करीब 900 करोड़ रुपये बकाया रकम किसानों को अदा करनी होगी।